न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 7/2018

जगन्नाथ पुत्र मथुरा जाति बैरवा निवासी चैनपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां

..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट व

धारा 109, 110 एल.आर.एल.एक्ट वास्ते नक्शा दुरूस्ती

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 14.06.2018

निर्णय दिनांक : 19.08.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम चैनपुरिया तहसील मांगरोल में स्थित है जो साबिक जमाबंदी सम्वत 2032–35 सेटलमेंट पूर्व खाता संख्या 70 की कुल किता 194 की 8 बीघा व 219 की 2 बीघा कुल 10 बीघा भूमि अलोट हुयी थी जिस पर इन्तकाल नं0 54 से उक्त आराजी प्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई है। तथा वर्तमान जमाबंदी में बतौर खातेदार हाल खरा नं0 234 रकबा 1.13 है0 खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। सेटलमेंट अधिकारियो ने वक्त सेटलमेंट साबिक खसरा नं0 194 की 8 बीघा के नये खसरा नं0 234 रकबा 1.13 है0 भूमि दर्ज की तथा खसरा नं0 219 के हाल खसरा नं0 275 कायम किये गये तथा इसी प्रकार प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नं0 194 रकबा 8 बीघा के नये खसरा नं0 234 कायम कर रकबा 1.13 है0 दर्ज किया गया है जो लगभग 6 बीघा 17 बिस्वा दर्ज हुये है इस प्रकार खसरा नं0 219 की 2 बीघा के 0.32 है0 के स्थान पर खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 भूमि दर्ज की गई है जो 0.03 है0 भूमि कम दर्ज की गई है तथा सेटलमेंट अधिकारियों ने साबिक नक्शा ट्रेस के स्थान पर नया नक्शा बनाया है उसको बदल दिया है जिसका की कोई अधिकार हासिल नही है तथा प्रार्थी के पूर्व रकबे में कमी कर दी है। जिसका भी उनको कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थी की आराजी ग्राम चैनपुरिया का रकबा पूर्व रकबे अनुसार उक्त खसरा नं0 234 का रकबा 1.13 है0 के स्थान पर 1.28 है0 व खसरा नं0 275 का रकबा 0.29 है0 के स्थान पर 0.32 है0 दुरूस्त कर दर्ज राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

किया जाकर रकबे के अनुसार वर्तमान नक्शा साबिक नक्शा के मुताबिक तथा मुताबिक साबिक जमाबंदी 10 बीघा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/41 दिनांक 27.06.2018 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि राजस्व रेकार्ड एवं पुराने नक्शे का अवलोकन करने पर दृष्टिगत हुआ है कि प्रार्थी जगन्नाथ के साबिक खसरा नं0 194 रकबा 8 बीघा व खसरा नं0 219 रकबा 2 बीघा कुल 10 बीघा है जो कि सेटलमेंट पश्चात के खसरा नं0 234 रकबा 1.13 है0, खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 एवं खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 कुल किता 3 रकबा 1.57 है0 बने है। जिसमें 194 रकबा 8 बीघा के नऐ नम्बर 234 रकबा 1.13 है0 एवं खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.28 है0 बने है। जो पुराने की तुलना में बिल्कुल सही है। परन्तु साबिक खसरा नं0 219 रकबा 2 बीघा के खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 बने है। इस प्रकार खसरा नम्बर से पूर्व के रकबे की तुलना में 0.03 है0 कम है। परन्तु पत्रावली में 219 रकबा 2 बीघा का पुरान नक्शा संलग्न नही है। जिससे नऐ एवं पुराने नम्बर के नक्शे की तुलना किया जाना सम्भव नही है नऐ एवं पुराने नक्शे की तुलना से ही नक्शे में हुई कमी बेशी की जा सकता है एवं आस पास सीमावर्ती नक्शे में भी रकबा बढा हुआ नही है एवं नही पास में कोई सरकारी नम्बर आ रहा है जिसमें से कम कर रकबे की पूर्ति की जा सकें। अतः उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी ग्राम चैनपुरिया का रकबा पूर्व रकबे अनुसार उक्त खसरा नं0 234 का रकबा 1.13 है0 के स्थान पर 1.28 है0 व खसरा नं0 275 का रकबा 0.29 है0 के स्थान पर 0.32 है0 दुरूस्त कर दर्ज राजस्व रेकार्ड किया जाकर रकबे के अनुसार वर्तमान नक्शा साबिक नक्शा के मुताबिक तथा मुताबिक साबिक जमाबंदी 10 बीघा दुरूस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है परन्तु प्रार्थी जगन्नाथ के साबिक खसरा नं0 194 रकबा 8 बीघा व खसरा नं0 219 रकबा 2 बीघा कुल 10 बीघा है जो कि सेटलमेंट पश्चात के खसरा नं0 234 रकबा 1.13 है0, खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 एवं खसरा नं0 275 रकबा 0.29 है0 कुल किता 3 रकबा 1.57 है0 बने है। जिसमें 194 रकबा 8 बीघा के नऐ नम्बर 234 रकबा 1.13 है0 एवं खसरा नं0 238/430 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.28 है0 बने है। जो पुराने की तुलना में बिल्कुल सही है। परन्तु साबिक खसरा नं0 219 रकबा 2 बीघा के खसरा नं0 275

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

0.29 है0 बने है। इस प्रकार खसरा नम्बर से पूर्व के रकबे की तुलना में 0.03 है0 कम है। परन्तु पत्रावली में 219 रकबा 2 बीघा का पुरान नक्शा संलग्न नही है। जिससे नऐ एवं पुराने नम्बर के नक्शे की तुलना किया जाना सम्भव नही है नऐ एवं पुराने नक्शे की तुलना से ही नक्शे में हुई कमी बेशी की जा सकता है एवं आस पास सीमावर्ती नक्शे में भी रकबा बढा हुआ नही है एवं नही पास में कोई सरकारी नम्बर आ रहा है जिसमें से कम कर रकबे की पूर्ति की जा सकें। अतः प्रार्थना पत्र अधुरा होने से औचित्यहीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल